



Neutral Citation No. - 2026:AHC:4225

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1345 वर्ष 2025

परशुराम

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: राम कृष्ण दुबे, रवि शंकर त्रिपाठी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. आवेदक की ओर से यह दूसरी जमानत याचिका है। उनकी पहली जमानत याचिका इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.05.2024 को आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 16873/2024 में पारित आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी।

3. इस जमानत याचिका के माध्यम से, आवेदक, परशराम, भारतीय दंड संहिता की धारा 149, 201, 120बी, 302 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 390/2014, पुलिस स्टेशन बरसाना, जिला मथुरा में जमानत की मांग कर रहे हैं।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान अपराध वर्ष 2014 से संबंधित है। पिछली जमानत याचिका 01.05.2024 को खारिज कर दी गई थी और आज तक आरोप तय नहीं किए गए हैं। अगली सुनवाई की तारीख 12.01.2026 तय की गई है। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में मुकदमा पूरा नहीं हो सकता, इसलिए आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक की पहली जमानत याचिका खारिज होने के बाद तीन अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है, इसलिए समानता के आधार पर आवेदक को भी जमानत पर रिहा किया जाए। आवेदक 23.02.2024 से जेल में है।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने यह तर्क देते हुए जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है कि अपराध में आवेदक की सक्रिय भागीदारी है। इसके अलावा, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता इस दूसरी जमानत याचिका में आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए कोई नया आधार प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं रहे हैं।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने के बाद, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. ने यह देखते हुए कि आवेदक अपराध करने में सक्रिय रूप से शामिल था और मुकदमा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभी प्रारंभिक अवस्था में है, साथ ही इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक की ओर से कोई अन्य नया आधार नहीं उठाया गया है, मुझे आरोपी-आवेदक के पक्ष में अपने विवेक का प्रयोग करने का कोई उचित कारण नहीं मिलता है।

7. तदनुसार, आवेदक-परशराम की जमानत याचिका खारिज की जाती है।

8. विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह मुकदमे को शीघ्रता से समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करे।

07 जनवरी 2026

मुस्तकीम.

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।